गापोक सं०-2942 Date: २४।८।२४

परिशिष्ट २९-फार्म संख्या ११२।

# सम्पत्ति अवभार-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं० 1774 २०२४ आवेदन सं० 1774 २०२४

श्री Authi Mangalam Construction & Developers [illegible]
सम्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित सव्यवहारों और भारों का परिलेखण प्रमाणपत्र दिया जाय।

(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दें)

[illegible] मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूं कि उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले सव्यवहारों और भारों के बारे में [illegible] और उनसे सम्बन्ध अनुक्रमणिकाओं में सा० 2012 to से सा० Till date तक तलाश की गई और ऐसी तलाशी के बाद निम्न सव्यवहारों और भारों का पता चला है।

| क्रम सं० | (क) सम्पत्ति का विवरण | निष्पादन की तारीख | (ख) दस्तावेज प्रकार और मूल्य | पक्षों के नाम: निष्पादक | पक्षों के नाम: दावेदार | दस्तावेज की प्रविष्टि के प्रति निर्देश: जिल्द सं | वर्ष | पृष्ठ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ |
| | Mouza no- 7, Hizapur. Khata no - 34, Plot no - 8 Area - 48 Decimals | | | Nil | | | | |

Raj Kumar Chatterjee

क) दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें। [illegible] की आकृति दर्ज करें। दर्शायें कि इसके बारे में उल्लेख [illegible]

ख) १. बंधक-पत्र की दशा में [illegible]
२. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक [illegible] दर्ज करें।

मैं एतद् द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों के सिवाय, उक्त सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण-पत्र तैयार किया :

(हस्ताक्षर)- DK

(पदनाम)- clerk

तलाशी का सत्यापन और प्रमाणपत्र की जाँच निम्न अधिकारी ने की

(हस्ताक्षर)- DK

(पदनाम)- clerk

कार्यालय Dist sub. Registration off Dhanbad

मुहर जिला अवर निबंधक

सत्यमेव जयते

मुहर धनबाद

तारीख 28/8/24

निबन्धन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

28·8·24

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं व आवेदक द्वारा दिया गया प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं इन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसी दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्शन्स) इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

२) निबन्धन अधिनियम की धारा ५७ के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हों, अथवा जो उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाणपत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। विहित फीस का भुगतान करने पर बहिया और अनुक्रमणियाँ उनके सामने रख दी जायेंगी।

क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपनी भरसक सावधानी से की है। फिर भी विभाग प्रमाणपत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि आवेदक द्वारा पाये गये संव्यवहारों और अवभारों के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विभाग आवेदक द्वारा न किये गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों की भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त सम्पत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

Search made by me

Raj Anand Kumar